

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की विशेषताएं

(Characteristics of Right to Education Act)

शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार है। किसी भी लोकतान्त्रिक प्रणाली की सरकारी सफलता वहाँ के सभी नागरिकों के शिक्षित होने पर निर्भर करती है। एक शिक्षित नागरिक स्वयं को विकसित करता है और साथ अपने देश को भी विकास की ओर आगे बढ़ाने में योगदान करता है। शिक्षा ही एक व्यक्ति को मानव की गरिमा प्रदान करती है। हमारे देश में यह कहा गया है कि एक अशिक्षित व्यक्ति पशु के समान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा का महत्व सर्वविदित है। किन्तु हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी बालकों को शिक्षा देने का कर्तव्य संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में भाग IV में रखा था।

अनु० 45 के अधीन राज्य का 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निः शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का कर्तव्य था। यह माना गया था कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें संविधान के इस निदेश को ईमानदारी से क्रियान्वित करेंगी। नीति निर्देशकों को मूल अधिकारों से कम महत्व नहीं दिया गया है। डॉ० अम्बेडकर ने यह कहा था कि निदेशक तत्व एक पवित्र घोषणा मात्र नहीं है बल्कि एक संविधानिक दायित्व है और उन्हें लागू न करने पर सरकारों को जनता के समक्ष जबाब देना पड़ेगा और कोई भी सरकार इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती है। अनु० 45 में विहित स्पष्ट रूप से वर्णित नीति निर्देशक तत्व के बावजूद भी सरकारों ने इस ओर कोई सार्थक कदम नहीं उठाया और संविधान लागू होने के दिन से 60 वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी भारत के 40 प्रतिशत बालक आज शिक्षा से वंचित हैं। संविधान निर्माताओं के शायद यह मत था कि राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इसे मूल अधिकार बनाना उचित होगा। उनकी यह आशा राजनीतिज्ञों ने विफल कर दिया।

1. भारत के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बीच आने वाले सभी बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा।
2. कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा 'प्राथमिक शिक्षा' के रूप में परिभाषित।
3. प्राथमिक शिक्षा खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, निकाला नहीं जाएगा या बोर्ड परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी।
4. ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है, जो किसी स्कूल में दाखिल नहीं है अथवा है भी, तो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया/पायी है; तब उसे उसकी उम्र के लायक उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि सीधे से दाखिला लेने वाले बच्चों के समकक्ष आने के लिए उसे प्रस्तावित समय सीमा के भीतर विशेष ट्रेनिंग दी जानी होगी, जो प्रस्तावित हो। प्राथमिक शिक्षा हेतु दाखिला लेने वाला/वाली बच्चा/बच्ची को 14 साल की उम्र के बाद भी प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।
5. प्रवेश के लिए उम्र का साक्ष्य प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र का निर्धारण उसके जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण कानून, 1856 या ऐसे ही अन्य कागजात के आधार पर किया जाएगा जो उसे जारी किया गया हो। उम्र प्रमाण नहीं होने की स्थिति में किसी भी बच्चे को दाखिला लेने से वंचित नहीं किया जा सकता।
6. प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले छात्र को एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा;
7. एक निश्चित शिक्षक-छात्र अनुपात की सिफारिश;
8. जम्मू-कश्मीर को छोड़कर समूचे देश में लागू होगा;
9. आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के लिए सभी निजी स्कूलों के कक्षा 1 में दाखिला लेने के लिए 25 फीसदी का आरक्षण;
10. शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य सुधार;
11. स्कूल शिक्षक को पाँच वर्षों के भीतर समुचित व्यावसायिक डिग्री प्राप्त कर लेना होगा, अन्यथा उनकी नौकरी चली जाएगी;
12. स्कूल का बुनियादी ढाँचा (जहाँ यह एक समस्या है) 3 वर्षों के भीतर सुधारा जाए अन्यथा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
13. वित्तीय बोझ राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच (55:45 के अनुपात में) साझा किया जाएगा।